





कार्यालय/OFFICE OF THE प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखण्ड PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX BIHAR & JHARKHAND प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन/1st FLOOR, C.R BUILDING, बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-८००००१/BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001 दूरभाष नं : ०६१२-२५०४४४७, फैक्स : ०६१२-२५०४०६६/TEL NO : 0612-2504447, FAX : 0612-2504066

ईमेल/Email - patna.pccit@incometax.gov.in

ORDER NO 82 OF 2023 DATE: 10.02.2023

F. No. PCCIT/PAT/Estt./25015/09/2022-23/Pursuant to the recommendations of the DPC held on 09.02.2023 for Vacancy Year 2023, the following officials are hereby promoted as Income Tax Officer on ad-hoc basis (GP – 4800/- now Pay Matrix Level 8 as per 7th CPC Rs. 47,600/- - Rs. 1,51,100/- plus such allowances as may be admissible) with immediate effect or from the date of joining, whichever is later, on *In Situ* basis. The officials will continue to discharge the same functions and duties on In-situ basis as they were discharging before promotion in the present office where they are posting until further order:

रिक्ति वर्ष 2023 के लिए 09.02.2023 को आयोजित डीपीसी द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारियों को आयकर अधिकारी (जीपी - 4800 / - अब 7 वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 रू. 47,600/- - रू. 1,51,100/- एवं अन्य मान्य भत्ते) के पद पर तदर्थ आधार पर In-situ आधार पर तत्काल प्रभाव अथवा नए पद पर योगदान देने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है। ये अधिकारी अगले आदेश तक उसी तरह के कार्यो और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसे वे वर्तमान कार्यालय में अपनी पदोन्नति से पहले कर रहे थे, जहां वे तैनात थे।

क्रम संख्या	नाम (श्री/श्रीमती)	वर्ग	जन्म तिथि	कर्मचारी संख्या
	Sanjay Kumar Sinha	UR	16.06.68	126446
2.	Rakesh Kumar	UR	08.10.81	171013

शर्ते/Conditions:

1. The Ad-hoc promotion shall not confer on the official concerned any right to claim seniority in the grade ITO or regular promotion as ITO.

तदर्थ आधार पर दी गयी प्रोन्नति किसी भी दशा में कर्मचारी को आयकर अधिकारी संवर्ग में वरीयता या नियमित आधार पर प्रोन्नति का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

2. The officials are liable to reverted at any time without assigning any reason.

कर्मचारी को किसी भी समय बिना कारण बताए उनके पुराने संवर्ग में वापस भेजा जा सकता है।

3. The promotion is valid for one year or till reversion to the feeder cadre or regularization of such promotion, whichever is earlier, in terms of Para No. 5 of DoP&T OM No. 28036/8/87-Estt.(D) dated 30.03.1988, unless it is further extended as per relevant rules. The above Ad-hoc promotion is subject

Page 1 of 3

to conditions as laid down in the consolidated instruction in the matter issued by the DoP&T in OM dated 03.04.2013.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28036/8/87-Estt.(D) dated 30.03.1988 के पैराग्राफ 5 के अनुसार उपरोक्त पदोन्नति एक साल के लिए या पोषक संवर्ग में प्रत्यावर्तन या पदोन्नति के नियमतिकरण में से जो भी पहले हो तक, के लिए वैध होगी, जब तक इस संबन्धित नियमों के अंतर्गत बढ़ाया न जाया उपरोक्त पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.04.2013 कार्यालय ज्ञापन के द्वारा इस संबंध में निर्गत समेकित निर्देशाओं के शर्तों के अधीन होगी।

4. The officials are not entitled to exercise the option provided under FR 22(1)(a)(1) being ad-hoc promotion. They will be entitled to exercise the option on their regularization.

तदर्थ प्रोन्नति के कारण अधिकारी को FR 22(1)(a)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के विकल्प चुनने क अधिकार नहीं होगा वे उनके प्रोन्नति के नियमितीकरण पर ही विकल्प चुनने के अधिकारी होंगे।

5. The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDT/DoPT and any other Competent Authority.

उपरोक्त पदोन्नति रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों में परिवर्तन इत्यादि के साथ-साथ किसी भी न्यायालय/के प्र क बो/प्र & का विभाग/कोई और सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों जैसे आकस्मिकताओं के अधीन है।

6. The said promotion order is subject to outcome of SLP, if filed by the Department with regard to the Order of Hon'ble High Court, Patna dated 06.02.2018 in CWJC No. 17935/2017(main order) & 16742/2017(arising out of OAs No. 223/2017 & 356/2017) and any Order of Hon'ble Apex Court which may be applicable which may be applicable in this matter.

उक्त पदोन्नति आदेश, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 06.02.2018 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17935/2017 (मुख्य आदेश और (16742/2017 (के आदेश ((ओएएस संख्या 223/2017 और 356/2017 से उत्पन्न होने वाले (के संबंध में विभाग द्वारा दायर किया गया एसएलपी (यदि ऐसा किया जाता है)में और अन्य किसी भी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश, जो इस मामले में लागू हो सकता है, के अधीन होगा

7. The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed/given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018.

उपरोक्त पदोन्नति आदेशों CWP संख्या 13218/2009 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक को दिये गए 15.07.11 अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 30621/2011 एवं एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.08.2017को दिये गए निर्णय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गए किसी भी आदेश निर्देश एवं अन्य न्यायालयीय/मामले जो ,कि DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-1) (Pt-II) dated 15.06.2018 द्वारा सूचित किए गए हैं ,के अंतर्गत समीक्षा के अधीन होगी.

8. The said promotion order is subject to review in respect of revision/Re-fixation of inter-se-seniority, in feeder cadre in view of advisories issued/to be issued by HRD, CBDT, New Delhi to implement the judgment of Hon'ble Supreme Court in case of N R Parmar and in the case of K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 arising out of SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 and various guidelines of DOPT.

उपरोक्त पदोन्नति आदेश SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 के कारण उत्पन्न K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 एवं एन आर परमार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए पोषक संवर्ग में वरीयता के पुनःनिर्धारण हेतु मानव संसाधन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं DoPTके द्वारा निर्गत विभिन्न दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

Page 2 of 3

9. No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial upgradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/ grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.

MACP योजना के अंतर्गत DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप अगर किसी अधिकारी को पहले ही वित्तीय उन्नयन का लाभ दे दिया गया है, तो उन्हे इस प्रोन्नति पर बेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी, अगर नियमित पदोन्नति अगर दो लगातार पे मैट्रिक्स के बीच नहीं हो, तो संबन्धित कैडर के बरीयता में अगले प्रोन्नति वाले पद के साथ संलग्न पे मैट्रिक्स नियमित पदोन्नति पर देय होगा।

10. It may be noted that in the event of refusing the above promotion the official getting promotion as per this order shall be debarred from promotion to the post of Income Tax Officer for a period of one year from the date of refusal of the said promotion or till a next vacancy arises, whichever is later.

ध्यातव्य है कि उपयुक्त पदोन्नति आदेश को अस्वीकार करने की स्थिति में जिन कर्मचारियों को इस आदेश के अनुसार पदोन्नती दी गई है उन्हें DOPT OM NO.22011/5/91-ESTT(D) तारीख 27 मार्च 1997 के अनुसार पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष तक या अगले रिक्ति उत्पन्न होने तक जो भी बाद में हो आयकर अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने से वंचित कर दिया जाएगा।

(नोट-किसी भी विवाद की स्थिति में इस आदेश का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा)

,हस्ता0-(जी एन मकवाना) आयकर आयुक्त (प्रशा & टी पी एस), पटना

तिथि : 10.02.2022

F. No.PCCIT/Estt/Pat/25015/07/2019-20/ 1141 अ सुचनार्थ प्रेषित/Copy for information to:

- 1.The DGIT (Inv.), Patna
- 2. The CCIT, Ranchi.
- 3. All the PCsIT/PDsIT/CsIT/DsIT under Bihar & Jharkhand.
- 4. Under Secretary to Govt. Of India, Ad.VI, CBDT, New Delhi, 5th Floor, Jeevan Vihar Buidling, 3, Parliament Street, New Delhi-110001
- 5. The ZAo, Patna.
- 6. The ITO(Welfare), O/o Pr.CCIT(B&J), Patna for publishing on official website
- 7. The GS, ITEF/ITGOA/ITSEWA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna.
- 8. Official(s) concerned
- 9. Guard File.

(एम के प्रभात) संयुक्त आयकर आयुक्त (in-situ)(मु0) प्रशा0 कुते : प्रधान मुख्या आयकर आयुक्त, बिहार & झारखण्ड, पटना